

बिहार सरकार
गृह विभाग

अधिरूचना

पटना, दिनांक...../...../.....

राख्या भारत संविधान के अनुक्रेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये बिहार राज्यपाल राजा के काराओं में परिधापक के पदों पर नियुक्ति एवं रोकाशों के विनियमन द्वारा नियमित नियमावली बनाते हैं:-

1. संक्षिप्त नाम, विरतार एवं प्रारंभ-

(1) यह नियमावली बिहार कारा "परिधापक" रावर्ग नियमावली, 2010 की जा सकेगी।

(2) इसका विरतार सम्पूर्ण बिहार राज्य में होगा।

(3) यह तुरंत प्रवृत्त होगी।

2. परिचापाएँ— जब तक संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो, इस नियमावली में -

(i) "राज्य सरकार" से अभिप्रेत है बिहार राज्य सरकार;

(ii) "नियुक्ति प्राधिकार" से अभिप्रेत है कारा गहानिरीक्षक, बिहार;

(iii) "नियंत्री प्राधिकार" से अभिप्रेत है केन्द्रीय कारा के काराधीक्षक;

(iv) "विभाग" से अभिप्रेत है गृह विभाग; तथा

(v) "कारा निरीक्षणालय" से अभिप्रेत है कारा गहानिरीक्षक का कार्यालय, बिहार।

3. संवर्ग का गठन - इस संवर्ग में राज्य सरकार द्वारा रागय रागय पर रखीकृत एवं संरक्षित पदवल/राख्या बल होगा।

4. आरक्षण— नियुक्ति में राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर अवधारित आरक्षण नीति लागू होगी।

5. भर्ती—

(1) नियमित वेतनमान पर नियुक्ति होगी।

(2) राज्य अवस्थित काराओं में कार्यशील विकित्सालयों द्वारा "परिधापक" के पद पर नियुक्ति होगी।

(3) परिधापक पद पर नियुक्ति संलग्न अनुरूपी "क" में विहित प्रक्रियानुसार अथवा राज्य सरकार के द्वारा रागय-रागय पर विहित प्रक्रियानुसार होगी।

- 6. अपेक्षाएँ—** परिधापक पद पर नियुक्ति हेतु अद्दता निम्नलिखित दण्ड
 (i) प्रवेशिका उत्तीर्ण या इसके समकक्ष अद्दता;
 (ii) शासीरिक रूप से स्वस्थ हो;
 (iii) सरकारी राजथान या सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त संरक्षण से परिधापक पद हेतु
 एक वर्ष की प्रशिक्षण प्राप्त किया हो;

अथवा, सरकार के अनुमोदनोपर्यन्त किसी गठनात्मक द्वारा जो अद्दता समय समय पर
 निहित की जाय।

- 7. आयु रीमा—** चौंतम आयुर्वीमा 18 वर्ष होगी और अधिकतम आयुर्वीमा कम होगी जो द्वारा सरकार (कार्यिक एवं प्रशारानेक सुझार विभाग) द्वारा समय समय पर निर्दिष्ट की जाय।

- 8. वेतन और गत्ते—** विहार राज्य के वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर अधिरूचित वतनमान एवं अन्य गत्ते अनुमान्य होंगे।

- 9. सामुद्दिकी—** (1) नियुक्ति परिवीक्षा के आधार पर होगी। परिवीक्षा अवधि दो वर्षों की होगी। परिवीक्षा अवधि के संतोषजनक रूप से पूर्ण होकर परिवीक्षा अवधि एक वर्ष के बढ़ायी जा सकेगी। दो वर्षों की परिवीक्षा अवधि में भी रोका संतोषजनक नहीं होकर परिवीक्षा किया जा सकेगा।

- (2) रोका में सामुद्दिकी के लिए परिवीक्षा अवधि में रोका संतोषजनक होना तथा नियुक्ति परीक्षा उत्तीर्ण होना आवश्यक होगा।

- (3) परिवीक्षा अवधि की गणना रोका सामुद्दिकी के प्रकार रोकावधि में परिवृत्ति की जायेगी।

- 10. निरसन एवं व्यापृति—** (1) इस नियमावली के प्रत्युत छोटे के बाद परिधापक पद पर नियुक्ति हेतु पूर्व के सभी परिपत्र/रांकल्प/अनुदेश निरसित समझे जायेंगे।

- (2) पूर्व परिपत्रों/रांकल्पों/अनुदेशों के अपेक्षा की गई सभी कार्रवाई विधिगत समझी जायेगी।

- 11. कठिनाईयों को दूर करने की शक्ति—** इस नियमावली के अनुपालन करने में दोनोंवाली किसी कठिनाई को दूर करने की शक्ति यूह विभाग के सचिव/प्रधान सचिव में निहित होगी।

विहार राज्यपाल के जादेश से

मान
राजकार के सामेन + ५५१०

१२८

शापांक ६५७३ पटना, दिनांक ३/५/१०
 प्रतिलिपि:- अधीक्षक, मुख्यमंत्रीरक्षण प्रशासनीय सचिवालय पर अधिकारी अधिकारी
 प्रेषित।

हमें निर्देश दिया जाता है कि इस अधिकारीको को विहार गजट के अगले अवधिकारी
 अंक में प्रकाशित करते हुए इसकी 200 मुद्रित प्रतियोगी विभाग को शीघ्र उपलब्ध करायें।

Omam

सरकार के सायेव
 गृह विभाग, विहार।

शापांक ६५७३ पटना, दिनांक ३/५/१०
 प्रतिलिपि:- महालेखाकार, विहार, टटा को शूटनाथ एवं आवश्यक कार्यालय प्रियत।

Omam

सरकार के सायेव
 गृह विभाग, विहार।

शापांक ६५७३ पटना, दिनांक ३/५/१०
 प्रतिलिपि:- कार्यालय एवं प्रशासनीय सूचार विभाग/वित विभाग को शूटनाथ
 प्रेषित।

Omam

सरकार के सायेव
 गृह विभाग, विहार।

शापांक ६५७३ पटना, दिनांक ३/५/१०
 प्रतिलिपि:- कर्ता महानिरीक्षक, विहार, पटना/अधीक्षक, केन्द्रीय कारा/मंडल कारा/उपकारा
 को शूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यालय प्रेषित।

Omam

सरकार के सायेव
 गृह विभाग, विहार।

१५११०

संक्षेप में “फ”

१. विद्यापत्र

सभा के प्रमुख एवं उन्हें और एक अधिकारी के नामों के समावेश होने के लिए विद्यापत्र प्रकाशित किया जायेगा।

२. आवेदन पत्र का प्रेस्प्रिण्ट

सभी आवेदन पत्र करा याहानिरीक्षक कमीशन में विद्यापत्र में विद्यापत्र प्रकाशित करने के लिए एवं यथा निर्दिष्ट रिक्त तक प्रेस्प्रिण्ट किये जायेंगे।

३. आवेदन रद्दफॉल

आवेदन के साथ अनारक्षित, पिछड़ा वस्ता अथवा पिछड़ा वर्गी के उम्मीदवारों को यथाविद्वित फीस का एक इमार राखना करना आवश्यक होगा। अनुरूपित जाति एवं जनजाति के उम्मीदवारों हेतु कोई फीस देने की आवश्यकता नहीं होगी।

४. आवेदन सत्रों की छंटाई एवं परीक्षण

आवेदन सत्रों की छंटाई एवं परीक्षण करा याहानिरीक्षक द्वारा यथा यादृच्छिक रूप से जायेगी।

करा याहानिरीक्षक एक वरदुमित्र प्रारंभिक परीक्षा का अन्तिम चर्चा संस्थान अथवा अपने विशेष रोपिती अन्य संस्था या यात्र्याम द्वारा हेतु उत्तराधीन होंगे। यह परीक्षा 80 अंकों की होगी, जिसमें निम्न प्रक्रिया अन्वयित जायेगी:

(i) 40 (वालीस) प्रश्नों का वरदुमित्र एवं वडुमिकली एक प्रश्न पर उत्तर दिया जायेगा।
परीक्षा की अवधि 60 (रात) की होगी।

(ii) ४६ प्रश्न—पत्र सामाज्य-शान एवं परिधापक के कार्यों से संबंधित विषय—वरतु पर होगा।

(iii) इस परीक्षा में कोई अद्वितीय नहीं होगा, विलिक कुल विद्यापत्र रिक्तियों के कोटिकार चार यु.॥ उम्मीदवारों की योग्यता सूची बनाकर प्रायोगिक परीक्षा में बुलाया जाएगा और उसमें से सुयोग्य उम्मीदवारों का चयन किया जाएगा।

५. प्रायोगिक परीक्षा—

उम्मीदवारों की विद्युतित हेतु प्रायोगिक परीक्षा के लिए निम्नलिखित पदाधिकारियों को नियानकर करा याहानिरीक्षक एक समिति गठित करेंगे:

- | | |
|---|----------|
| (i) निदेशक (प्रशारण), करा याहानिरीक्षक | प्रशारण |
| (ii) यूड नियाम के द्वारा नियोजित अनुरूपित जाति/
अनुरूपित जनजाति के प्रतिनिधि | राजदरबार |
| (iii) करा में पदवर्षापित दो विकल्पी पदाधिकारी | राजदरबार |

प्रायोगिक परीक्षा के कुल अंक 20 होंगे।

6. ԱՃԱՆ ՏՐՈՒՓԱԿ

ਨੈਂਕੇ ਪਰਿਆ ਪਾਂ ਘਰੀਬੀ ਪਰਿਆ ਹੈ ਜੋ ਪ੍ਰਤੀਫਲ ਕ ਵਿਚ ਯਕੀਨੀ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਭਾਵਕਾਂ ਦੀ
ਵਿਦਾਵੀ ਕੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਵੀ ਅਧੀਨ ਹੈ ਜੋ ਵਾਲੇ ਪਾਰਿਆ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਕੀ ਗਈ ਹੈ।

that offend a